कार्यालय महानिरीक्षक, प्रा0प्र0केन्द्र (भानू), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, पत्रालय- भानू कैम्प रामगढ, जिला- पंचकुला (हरियाणा) पिन-134103.

दल संख्या- 110310868 कांस्टेबल (जी0डी0) गुरजोत सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, गॉव/पत्रालय- ढडियालनट्ट, तहसील- बटाला, पुलिस स्टेशन- सदर बटाला, जिला- गुरदासपुर, राज्य- पंजाब, पिन-143507 को इस नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि आप दिनांक 12.11.2023 (अप्राहन) से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश से अनुपस्थित चल रहे है, जोकि भा0ति0सी0पुलिस बल अधिनियम-1992 की धारा 21 (ख) के तहत दण्डनीय अपराध है। आपको बार-बार पंजीकृत डाक से पत्राचार करने/स्मरण पत्र भेजने के बावजूद भी न तो स्वयं ड्यूटी पर हाजिर हुए है और ना ही आपने इन पत्राचारो के एवज में कोई लिखित पत्राचार/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। आपके अवकाश से अनुपस्थित रहने के कारणो का पता लगाने के लिए भा0ति0सी0पुलिस बल अधिनियम-1992 की धारा 74 (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार महानिरीक्षक, प्रा0प्र0केन्द्र (भानू), भा0ति0सी0पुलिस के आदेश संख्या- 23959 दिनांक 21.12.2023 के तहत एक न्यायिक जॉच समिति का गठन किया गया था। न्यायिक जॉच समिति की राय तथा संस्तुति के आधार पर भा0ति0सी0पुलिस बल अधिनियम-1992 की धारा 74 (2) में दिए गए प्रावधानानुसार आपको इस कार्यालय के आदेश संख्या- 243-342 दिनांक 04.01.2024 के तहत दिनांक 12.11.2023 (अप्राहन) से इस बल से **''भगौड़ा''** (Deserter) घोषित किया गया है। नियमानुसार, आपको अपने बचाव पक्ष में सबूत पेश करने के लिए दिनांक 08.02.2024 को 30 दिन का **''कारण बताओ नोटिस''** पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया हैं। इस संबंध में भा॰ति॰सी॰पु॰ बल की 52वीं वाहिनी द्वारा आपके घर के पते पर एक प्रतिनिधि भेजने पर आपके विदेश (इंगलैंड) में निवास हेतु जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जोकि बिना अनुमति के विदेश जाना बल में प्रचलित निर्देशों का उंलघन है। आपके द्वारा लगभग 04 माह के बाद भी कोई स्पष्टीकरण और प्रतिवाद प्रस्तुत नही किया है।

2. अतः दल संख्या-110310868 कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) गुरजोत सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह को इस नोटिस के माध्यम से पुनः सूचित किया जाता है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर महानिरीक्षक, प्रा0प्र0केन्द्र (भानू), भा0ति0सी0पुलिस, पत्रालय- भानू कैम्प, रामगढ, जिला- पंचकुला (हरियाणा) पिन- 134103 में अपनी ड्यूटी हेतु आमद दें। यदि आप दिए गए समय अर्थात इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन तक ड्यूटी पर आमद देने में असमर्थ रहते है तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियमावली-1994 के नियम 17 के साथ पठित नियम 20 के अनुसार आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

11/3/24

उप महानिरीक्षक

प्रा0प्र0केन्द्र (भानू), भा0ति0सी0पुलिस

CBC 19112/11/0016/2425